

फेडरल-एज क्रेडिट कार्ड MITC

ये सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्त ("MITC") फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) द्वारा अपने सह-ब्रांडिंग भागीदार अमिका नियो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ("ANMPL") के साथ भागीदारी में जारी किए गए एज-फेडरल क्रेडिट कार्ड (एज-फेडरल कार्ड) पर लागू होती हैं।

एज-फेडरल कार्ड को जुपिटर मोबाइल ऐप (जिसका स्वामित्व अमिका फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड ("AFTPL"/ "जुपिटर") के पास है) पर कार्डधारक सक्रिय कर सकते हैं या 'सबमिट' या 'मैं सहमत हूं' या किसी समान टैब/आइकन पर क्लिक करने का अर्थ कार्डधारक/कार्डधारक/उपयोगकर्ता/आप ("कार्डधारक") द्वारा MITC की स्वीकृति होगी।

MITC विस्तृत नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं तथा उन्हें उनके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए और वे बैंक के विवेक पर तथा समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। अपडेट संस्करण हमेशा इस वेब पेज पर और जुपिटर ऐप में उपलब्ध रहेगा।

फीस और शुल्क की अनुसूची

निम्नलिखित शुल्क बैंक के विवेकाधिकार पर हैं और एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय बदले जा सकते हैं।

यहां सभी शुल्क की सूची दी गई है (GST को छोड़कर):

क्रमांक नंबर	प्रकार	विशिष्ट विवरण	यूनिट फीस	इस पर लगाया गया
1.	प्राथमिक और अतिरिक्त कार्डधारकों के लिए शामिल होने की फीस	फेडरल एज-फेडरल कार्ड जारी करते समय भुगतान की गई फीस	कुछ नहीं	-

2.	प्राथमिक कार्डधारकों के लिए वार्षिक सदस्यता फीस	एज-फेडरल कार्ड का एक वर्ष तक उपयोग करने हेतु भुगतान की गई फीस	₹999(पिछले वर्ष में ₹1.2 लाख के पात्र खर्च पर छूट)	कार्ड आवेदन के समय और फिर प्रतिवर्ष। फीस अगले बिल में जोड़ दी जाती है
3.	अतिरिक्त कार्डधारकों के लिए वार्षिक सदस्यता फीस	एज-फेडरल-कार्ड का एक वर्ष तक उपयोग करने हेतु भुगतान की गई फीस	कुछ नहीं	-
4.	कार्ड जारी करने की फीस	भौतिक एज-फेडरल कार्ड जारी करने की फीस	कुछ नहीं	-
5.	कार्ड प्रतिस्थापन फीस	भौतिक एज फेडरल कार्ड के प्रतिस्थापन के केस में भुगतान की जाने वाली फीस	₹ 249	कार्ड प्रतिस्थापन के समय, फीस अगले बिल में जोड़ दी जाती है
6.	कार्ड बंद करने की फीस	कार्ड खाता बंद करने के लिए भुगतान की गई फीस	कुछ नहीं	-
7.	अग्रिम नकद की सीमा	नकद निकासी पर भुगतान की गई फीस	उपलब्ध नहीं आपका एज फेडरल कार्ड नकद निकासी की अनुमति नहीं देता है	-

8.	लेनदेन के लिए लगाए गए सेवा शुल्क	लेनदेन के लिए लगाए गए सेवा शुल्क।	कुछ नहीं	
9.	फ़ारैक्स मार्कअप फ़ीस	प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर भुगतान की जाने वाली फ़ीस	प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर 2%	किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के निपटान के समय। फ़ीस अगले कथन में जोड़ दी जाती है
10.	ओवरलिमिट फ़ीस*	यदि कोई लेनदेन आपकी निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा से अधिक है तो फ़ीस ली जाएगी	कुछ नहीं आपका एज फ़ेडरल कार्ड ओवरलिमिट लेनदेन की अनुमति नहीं देता है	-
11.	देर से किए गए भुगतान के लिए शुल्क	यदि देय न्यूनतम राशि (MAD) का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो फ़ीस ली जाएगी	बकाया राशि का 2% न्यूनतम ₹100 के अधीन है	कथन निर्माण तिथि
12.	खरीद लेनदेन पर ब्याज	यदि भुगतान देय तिथि तक पूरी बिल राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो खरीद लेनदेन पर ब्याज लगाया जाता है	बकाया राशि पर 3.75% मासिक ब्याज दर और 45% वार्षिक ब्याज दर	कथन निर्माण तिथि

13.	नकद अग्रिम पर ब्याज	नकद निकासी पर लगाया जाने वाला ब्याज	उपलब्ध नहीं आपका एज फ़ेडरल कार्ड नकद निकासी की अनुमति नहीं देता है	-
14.	फ्यूल सरचार्ज***	प्रत्येक फ्यूल खरीद पर सरचार्ज लगाया जाएगा	लेनदेन मूल्य का 1% या ₹10 जो भी अधिक हो	फ्यूल लेनदेन के समय। फ़ीस अगले कथन में जोड़ दी जाती है
15.	GST	सभी फ़ीस, ब्याज, सरचार्ज और अन्य शुल्क पर GST लागू है	बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए GST दर 18% है	संबंधित फ़ीस लगाए जाने के समय
16.	ऑटो-डेबिट विफलता फ़ीस	आपके बिल भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट विफल होने पर फ़ीस लगाई जाएगी	कुछ नहीं	-

* ओवरलिमिट - हालांकि हम आम तौर पर ओवरलिमिट लेनदेन की अनुमति नहीं देते हैं। यदि निपटान के समय व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गई अधिक राशि के कारण कार्डधारक की क्रेडिट सीमा का उल्लंघन होता है, तो कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

** जहां भी लागू हो, समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार ग्राहक के लिए TDS काटा जाएगा।

*** प्रति बिलिंग चक्र में ₹4000 तक के फ्यूल खर्च पर फ्यूल सरचार्ज में छूट दी जाएगी

देर से किए गए भुगतान के लिए शुल्क

यदि भुगतान करने वाले नियत दिनांक तक न्यूनतम देय राशि (MAD) का भुगतान नहीं किया जाता है तो देर से होने वाले भुगतान पर शुल्क लागू होगा।

देर से किए गए भुगतान पर शुल्क की गणना के लिए उदाहरण:

नीचे दिए गए उदाहरण में, सोच लें कि कैलेंडर महीने की 1 तारीख से - महीने की अंतिम तारीख तक बिलिंग चक्र है। कथन 1 तारीख को जनरेट किए जाते हैं और हर महीने की 15 तारीख को देय होते हैं। निम्नलिखित चक्र की शुरुआत में कोई बकाया नहीं है।

तिथि	विवरण
2 मार्च 2023	₹10000 का लेनदेन
1 अप्रैल 2023	कथन जनरेट किया गया <ul style="list-style-type: none">कुल देय राशि: ₹10,000न्यूनतम देय राशि: ₹ 500
15 अप्रैल 2023	भुगतान देय <ul style="list-style-type: none">कुल देय राशि: ₹10,000न्यूनतम देय राशि: ₹500
21 अप्रैल 2023	₹ 2000 का भुगतान किया गया
1 मई 2023	₹ 200 का देर से किए गए भुगतान पर शुल्क लागू
1 मई 2023	बिल में देर से किए गए भुगतान के लिए शुल्क पर ₹ 36 की GST जोड़ी गई

दृश्यान दें: जब कुल बकाया राशि ₹500 से कम हो तो देर से किए गए भुगतान पर शुल्क लागू नहीं होगा।

ब्याज शुल्क

- यदि भुगतान देय तिथि तक कुल देय राशि ("TAD") का भुगतान नहीं किया जाता है तो ब्याज लगाया जाएगा। बकाया राशि पर और सभी नए लेनदेन (लेनदेन तिथि से) पर उस समय तक ब्याज लगाया जाएगा जब तक कि कुल देय राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है।
- निम्नलिखित उदाहरण दिखाता है कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। नीचे दी गई तालिका में, यह मान लिया गया है कि पिछले महीने के स्टेटमेंट की कुल देय राशि ("TAD") का भुगतान देय दिनांक तक कर दिया गया है और अब कोई राशि बकाया नहीं है। कथन निर्माण तिथि 1 है। इन मान्यताओं को देखते हुए, ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

तिथि	विवरण
5 मार्च, 2023	₹10,000 का लेनदेन
27 मार्च, 2023	₹5000 का लेनदेन
1 अप्रैल 2023	कथन जनरेट किया गया <ul style="list-style-type: none"> कुल देय राशि: ₹15,000 न्यूनतम देय राशि: ₹750
15 अप्रैल 2023	भुगतान देय <ul style="list-style-type: none"> कुल देय राशि: ₹15,000 न्यूनतम देय राशि: ₹750
19 अप्रैल 2023	₹1000 का लेनदेन
21 अप्रैल 2023	₹2000 का भुगतान किया गया

3. 1 मई 2023 के कथन पर निम्नलिखित ब्याज शुल्क लगाए जाएंगे। ब्याज की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

बकाया लेनदेन राशि x लेनदेन के बाद से दिनों की संख्या x (ब्याज दर x 12 महीने) / 365

विवरण	कारण	राशि	गणना
₹10,000 पर 47 दिनों के लिए ब्याज (5 मार्च से 20 अप्रैल तक)	लेनदेन की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक पूरी लेनदेन राशि पर ब्याज	₹579.45	$(10000 \times 47 \times (3.75\% \times 12)) / 365$
₹8,000 पर 10 दिनों के लिए ब्याज (21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक)	भुगतान की तिथि से अगले कथन की तिथि तक बकाया लेनदेन राशि पर ब्याज	₹98.63	$(8000 \times 10 \times (3.75\% \times 12)) / 365$
₹5,000 पर 35 दिनों के लिए ब्याज (27 मार्च से 30 अप्रैल तक)	अगले कथन तिथि तक पूरे लेनदेन राशि पर ब्याज	₹431.51	$(10000 \times 35 \times (3.75\% \times 12)) / 365$

₹1,000 पर 12 दिनों के लिए ब्याज (19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक)	चूंकि TAD का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए इस लेनदेन पर ब्याज मुक्त अवधि लागू नहीं होती है अगले कथन तिथि तक पूरी लेनदेन राशि पर ब्याज	₹14.79	(1000 x 12 x (3.75% x 12)) / 365
कुल देय ब्याज	उपरोक्त सभी शुल्क का योग	₹1124.38	(₹579.45 + ₹98.63 + ₹431.51 + ₹14.79)
ब्याज शुल्क पर GST लागू है	सभी फ़ीस, ब्याज, सरचार्ज और अन्य शुल्क पर GST लागू है	₹202.39	18% x ₹1124.38

ध्यान दें: ये उदाहरण सांकेतिक हैं और यह दिखाने के लिए हैं कि ब्याज की गणना और उन्हें किस तरह चार्ज किया जाता है।

ब्याज रहित अवधि

ब्याज रहित अवधि 13 से 47 दिनों तक हो सकती है।

ब्याज रहित अवधि की गणना के लिए उदाहरण:

1 मई, 2023 से 31 मई, 2023 तक की अवधि के कथन के लिए भुगतान की देय तिथि 15 जून, 2023 होगी। यह मानते हुए कि कार्डधारक ने भुगतान देय तिथि तक पिछले महीने के कथन की कुल देय राशि का भुगतान कर दिया है, तो अनुग्रह अवधि इस प्रकार होगी:

2 मई, 2023 की खरीदारी के लिए ब्याज रहित अनुग्रह अवधि 2 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक, यानी 45 दिन की है।

- 30 मई, 2023 की खरीदारी के लिए ब्याज रहित अनुग्रह अवधि 30 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक, यानी 17 दिन की है।

इस प्रकार, खरीदारी के दिनांक के आधार पर छूट अवधि अलग हो सकती है।

ध्यान दें: यदि कुल देय राशि का भुगतान देय दिनांक तक नहीं किया जाता है, तो कोई अवधि ब्याज मुक्त नहीं होगी। भुगतान की देय तिथि के बाद अतिरिक्त तीन दिन की अवधि (जैसा कि भारतीय

रिज़र्व बैंक "RBI" द्वारा अनिवार्य है) है, जिसके दौरान यदि कार्डधारक भुगतान करता है, तो उनसे विलंबित भुगतान या ब्याज शुल्क नहीं लिया जाएगा।

फॉरेक्स मार्कअप फीस

यदि कोई लेन-देन भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो उस लेन-देन को भारतीय रूपए में परिवर्तित किया जाएगा। रूपांतरण उस दिनांक को होगा जिस दिन लेनदेन का सेटलमेंट किया जाता है, जो कि उसी दिनांक को नहीं हो सकता है जिस दिन लेनदेन किया गया था। यदि लेनदेन USD (अमेरिकी डॉलर) में नहीं है, तो राशि को पहले USD में बदला जाएगा

और फिर USD राशि को VISA द्वारा प्रदान की गई दर के अनुसार INR में बदल दिया जाएगा। इस राशि में, फॉरेक्स मार्कअप फीस लगाई जाएगी और मार्कअप फीस पर GST लगाया जाएगा।

यदि यह लेनदेन रिवर्स कर दिया जाता है, तो मार्कअप फीस और GST शुल्क दोनों रिफंड कर दिए जाएंगे। हालांकि, रिफंड के केस में, रिफंड की तिथि पर लागू रूपांतरण दर के अनुसार केवल लेनदेन राशि ही INR में रिफंड की जाएगी।

भारत से बाहर स्थित किसी व्यापारी या भुगतान गेटवे पर किए गए भारतीय रूपये (INR) लेन-देन के केस में कोई फॉरेक्स मार्कअप फीस भी लगाई जाएगी।

क्रेडिट और नकद सीमा

कार्ड जारी करते समय कार्डधारक को उसकी क्रेडिट सीमा बता दी जाएगी। इसका उल्लेख मासिक कथन में भी किया जाएगा।

उपलब्ध क्रेडिट सीमा की गणना कुल क्रेडिट सीमा से उपयोग की गई सीमा को घटाकर की जाती है। "उपलब्ध क्रेडिट सीमा" वह सीमा है जिस तक कार्डधारक खरीदारी कर सकता है।

कार्डधारक कार्ड जारी होने की तिथि से 12 महीने के बाद क्रेडिट में वृद्धि के लिए आवेदन करने के अधिकारी हो सकते हैं। जुपिटर ऐप में, फेडरल बैंक कार्डधारकों को उनके एज-फेडरल कार्ड के उपयोग के आधार पर क्रेडिट सीमा बढ़ाने की अनुशंसा करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। यह अनुशंसा और इससे संबंधित नियम व शर्त कार्डधारक को अनुशंसा स्वीकार करने से पहले विचार करने के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी।

एक बार कार्डधारक क्रेडिट सीमा से संबंधित नियम को पढ़ लेता है और उनसे सहमत हो जाता है

जुपिटर ऐप के अंदर प्रदर्शित सीमा वृद्धि और सीमा बढ़ाने के लिए उनकी सहमति प्रदान करते हुए, उनकी क्रेडिट सीमा बढ़ाई जाएगी। कार्डधारक द्वारा सीमा वृद्धि की अनुशंसा की स्वीकृति, जहां वे विशेष रूप से सीमा वृद्धि को मान्य करते हैं और नियम से सहमत होते हैं, उन्हें सहमति के रूप में माना जाएगा। बैंक या उसके प्राधिकृत तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, ऐसी सहमति के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए

रखेगा और खाते में सीमा बढ़ाने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के केस में इसे सहमति के सबूत के तौर पर मानेगा।

फेडरल बैंक समय-समय पर कार्डधारक के खाते की समीक्षा करेगा और उनके लेनदेन पैटर्न, भुगतान व्यवहार और अन्य आंतरिक मापदंडों के आधार पर उनकी क्रेडिट सीमा को कम करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। इसकी सूचना कार्डधारक को जुपिटर ऐप और/या ईमेल और SMS के माध्यम से दी जाएगी।

बिलिंग

1. भुगतान अनुसूची

बिलिंग चक्र को नीचे दिए गए उदाहरणों के आधार पर चित्रित किया गया है।

चक्र अवधि	कथन निर्माण	भुगतान देय तिथि	3 दिन की अनुग्रह अवधि	ब्याज लगाए जाने वाले दिन की तिथि	देर से किए गए भुगतान के लिए ^{शुल्क}
1 मई - 31 मई	1 जून	15 जून	16 से 18 जून	16 जून	यदि न्यूनतम देय राशि 18 जून (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
6 मई - 5 जून	6 जून	20 जून	20 से 22 जून	20 जून	यदि न्यूनतम देय राशि 22 जून (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा

11 मई से 10 जून	25 जून	26 से 28 जून	26 जून	यदि न्यूनतम देय राशि 28 जून (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
19 मई से 18 जून	19 जून	3 जुलाई	3 से 5 जुलाई	यदि न्यूनतम देय राशि 5 जुलाई (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
21 मई से 20 जून	21 जून	5 जुलाई	6 से 8 जुलाई	यदि न्यूनतम देय राशि 8 जुलाई (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
26 मई से 25 जून	26 जून	10 जुलाई	10 से 12 जुलाई	यदि न्यूनतम देय राशि 12 जुलाई (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा

2. बिलिंग कथन

कार्डधारक का बिलिंग कथन हर महीने जनरेट किया जाएगा। सभी खरीदारी, भुगतान, फ़ीस, ब्याज शुल्क, रिफंड और करों का ब्रेक-अप इसमें शामिल होगा।

यदि किसी महीने में कार्ड का उपयोग नहीं किया गया है, तो स्टेटमेंट में यह उल्लेख किया जाएगा कि उस महीने में कोई खर्च नहीं हुआ था। जुपिटर ऐप में PDF फॉर्मेट में कथन देखने और डाउनलोड करने का विकल्प भी है। कार्डधारक को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उनके मासिक कथन की PDF कॉपी भी भेजी जाएगी। हालांकि, कार्डधारक समय-समय पर जुपिटर पर कथन की समीक्षा करेगा, ताकि कथन के बारे में अपडेट रह सके।

मासिक कथन में केवल निपटाए गए लेनदेन ही शामिल किए जाएंगे। यदि किसी विशेष साइकिल में किया गया लेनदेन, कथन तैयार होने के समय तक निपटाया नहीं गया है, तो इसे अगली साइकिल में शामिल किया जाएगा। नेटवर्क पार्टनर दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यापारियों को घरेलू लेनदेन निपटाने के लिए अधिकतम 10 दिन और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को निपटाने के लिए 15 दिन तक का समय दिया जाता है।

यदि इस समय सीमा में लेनदेन का निपटान नहीं किया जाता है, तो लेनदेन राशि कार्डधारक को वापस कर दी जाएगी। इसके बाद, लेनदेन की तिथि से 45 दिनों तक लेनदेन की देरी से प्रस्तुति के केस में, उनसे फिर से शुल्क लिया जा सकता है और उनकी उपलब्ध सीमा तदनुसार कम कर दी जाएगी।

कोई भी लेनदेन जिस पर विवाद उठाया गया है, उसे मासिक कथन में शामिल नहीं किया जाएगा।

3. न्यूनतम देय राशि

कार्डधारक को मासिक कथन में बताए गए भुगतान देय तिथि तक कम से कम न्यूनतम देय राशि का भुगतान करना होगा। यदि उन्होंने न्यूनतम देय राशि का भुगतान किया है, तो वे केवल बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और रिवॉर्ड कमाना व रिडीम करना जारी रख सकते हैं।

मासिक कथन में बताई गई न्यूनतम देय राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

कुल देय राशि का 5% (कार्डधारक द्वारा क्रेडिट की गई और/या रिफंड की गई और/या चुकाई गई और/या भुगतान की देय तिथि से पहले जुपिटर द्वारा माफ की गई किसी भी राशि से कम)

+

महीने के लिए बिल की गई EMI राशि

+

किसी भी फ़ीस, ब्याज, शुल्क और कर का 100%

यदि न्यूनतम देय राशि ₹500 से कम है, तो कार्डधारक से न्यूनतम देय राशि के रूप में ₹500 का शुल्क लिया जाएगा। यदि कुल देय राशि ₹500 से कम है, तो कुल देय राशि का मूल्य न्यूनतम देय राशि बन जाती है।

4. भुगतान नॉक-ऑफ ऑर्डर:

जब कार्डधारक भुगतान करता है, तो इसे इस क्रम में एडजस्ट किया जाता है:

- कर
- फ़ीस
- ब्याज
- खरीदी हुई वस्तु

इसके अलावा, खरीद की राशि जल्द से जल्द लेनदेन की तिथि से आरंभ होती है।

5. कथन को रिफ़ंड/रिवर्सल/छूट/शुल्क-वापसी कैसे प्रभावित करते हैं

किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए कार्डधारक को एज-फ़ेडरल कार्ड कथन में बिल किए गए लेनदेन के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि उन्हें बिल का भुगतान करने से पहले कोई आवक लेनदेन (धनवापसी, रिवर्सल, छूट या चार्जबैक) प्राप्त होते हैं, तो ये लेनदेन पहले अंतिम कथन के कारण कुल राशि की भरपाई करेंगे।

यदि कोई बिल राशि देय नहीं है, तो इस राशि को उनके वर्तमान बकाया में समायोजित कर दिया जाएगा।

यदि कार्ड पर कोई बकाया राशि नहीं है, तो हम आवक लेनदेन को केवल 5000 रुपये या कार्डधारक की क्रेडिट सीमा का 1% (जो भी कम हो) तक समायोजित करेंगे, और किसी भी अतिरिक्त शेष राशि को उनके निर्दिष्ट बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा।

6. भुगतान की विधि

कार्डधारक निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके जुषिटर ऐप से बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं:

- उनके फ़ेडरल बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाएगा। यह ऑटो-डेबिट भुगतान की देय तिथि को सुबह 10 बजे आरंभ किया जाएगा
- उनके फ़ेडरल बैंक खाते या किसी अन्य पंजीकृत बैंक खाते से बैंक हस्तांतरण।

- जुपिटर ऐप में जोड़े गए किसी भी VPA से UPI भुगतान (₹2 लाख तक)।
- कार्डधारक को SMS और ईमेल के ज़रिए भेजे गए अद्वितीय भुगतान लिंक का उपयोग करके किसी भी बैंक खाते के डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ज़रिए।

फेडरल बैंक को किसी भी समय भुगतान की कोई भी विधि जोड़ने/निकालने का अधिकार है।

7. बिलिंग संबंधी विवाद का समाधान

यदि कार्डधारक कथन निर्माण तिथि से 30 दिनों के अंतर्गत हमें किसी विसंगति की सूचना नहीं देता है तो कथन की समस्त सामग्री सही मानी जाएगी और स्वीकार कर ली जाएगी। बिलिंग से संबंधित विवाद/विसंगतियां होने पर, हम ऐसे लेनदेन के लिए देयता की जांच और पुष्टि करेंगे।

किसी भी विवादों के लिए, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क-वापसी उठाया जाता है, हम जांच की अवधि के दौरान कोई अस्थायी क्रेडिट ऑफर कर सकते हैं, जिसे जांच के परिणाम के अधीन लागू शुल्कों के साथ वापस किया जा सकता है।

फ़िस और शुल्क या ब्याज पर कोई भी विवाद में लगाए गए किसी भी GST को वापस नहीं किया जाएगा।

8. बिलिंग विवाद के केस में हमसे संपर्क करें

यदि कार्डधारक को किसी सहायता की आवश्यकता है, तो वे यह कर सकते हैं:

- जुपिटर ऐप पर (?) बटन पर क्लिक करें और समाधान प्राप्त करने के लिए चैट सहायता का उपयोग करें
- हमारे कस्टमर केयर नंबर +91 86550 55086 पर कॉल करें
- हमें support@jupiter.money पर ईमेल करें

सुश्री शालिनी वारियर, कार्यकारी निदेशक, CEO के सचिवालय, फेडरल बैंक लिमिटेड, फेडरल टावर्स, अलुवा, केरल फैक्स को पत्र: 04842626366. हमारे साथ सभी संचार में, कृपया पूर्ण पंजीकृत मोबाइल नंबर और अपने एज-फेडरल कार्ड नंबर के अंतिम 4 अंक बताएं।

क्रेडिट बैलेंस/अतिरिक्त राशि का रीफ़ंड

यदि कार्डधारक के एज फेडरल क्रेडिट में कोई क्रेडिट बैलेंस/अतिरिक्त राशि उपलब्ध है

अतिरिक्त भुगतान या रिवर्सल/रिफ़ंड के कारण कार्ड खाते की यह राशि उन्हें रिफ़ंड (बिना किसी लागू ब्याज के) कर दी जाएगी, बशर्ते उनकी सभी बकाया राशि का भुगतान हो जाना चाहिए।

निम्नलिखित प्रक्रिया को फ़ॉलो किया जाएगा:

1. यदि कार्डधारक का जुपिटर ऐप पर फ़ेडरल बैंक खाता है, तो अतिरिक्त क्रेडिट शेष राशि स्वचालित रूप से उस खाते में स्थानांतरित हो जाएगी
2. यदि कार्डधारक ने एज- फ़ेडरल कार्ड का विकल्प चुना है, लेकिन जुपिटर प्लेटफॉर्म पर फ़ेडरल बैंक खाता नहीं है, तो उन्हें जुपिटर ऐप पर अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा। यह खाता सक्रिय होना चाहिए और कार्डधारक प्राथमिक खाताधारक होना चाहिए। हम बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करने के लिए उस खाते में 1 रुपया जमा करेंगे।

याद रखने योग्य कुछ बातें:

1. यदि कार्डधारक पर कोई बकाया राशि नहीं है और यदि उन्हें ₹5000 से अधिक या उनकी क्रेडिट सीमा का 1% (जो भी कम हो) से अधिक का आवक लेनदेन प्राप्त होता है, तो यह राशि 3 कार्य दिवसों के अंतर्गत उनके संबंधित खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह सक्रिय और ब्लॉक किए गए दोनों कार्ड पर लागू है।
2. यदि कार्डधारक पर कोई बकाया राशि है, तो किसी भी रिफंड, रिवर्सल, छूट या शुल्क-वापसी को खंड के तहत निर्धारित तरीके से समायोजित किया जाएगा
3. यह सक्रिय और ब्लॉक किए गए दोनों कार्ड पर लागू है।
4. यदि कार्डधारक का एज- फ़ेडरल कार्ड खाता बंद कर दिया गया है, तो वे अभी भी जुपिटर ऐप पर अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान कर सकते हैं। किसी भी अतिरिक्त शेष राशि या क्रेडिट राशि को अनुरोध की तिथि से 7-10 कार्य दिवस के अंतर्गत उस बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि उनके पास जुपिटर ऐप पर कोई मौजूदा फ़ेडरल बैंक खाता है, तो यह राशि उसी समय सीमा में सीधे उस खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यदि जुपिटर ऐप तक पहुंच नहीं है, तो वे रद्द किए गए चेक को साझा कर सकते हैं या हमें support@jupiter.money पर ईमेल करके अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान कर सकते हैं।
5. सक्रिय कार्ड या ब्लॉक किए गए कार्ड के केस में, यदि इसके लिए जुपिटर के पास अनुरोध किया गया हो, तो अतिरिक्त भुगतान के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अतिरिक्त क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा। यह वापसी किसी अनुरोध की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंतर्गत संबंधित बैंक खाते में कर दी जाएगी।
6. कार्डधारक के एज- फ़ेडरल क्रेडिट कार्ड खाते में जमा किसी भी क्रेडिट बैलेंस/अतिरिक्त राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

रिवॉर्ड और लाभ

एज- फ़ेडरल कार्ड का उपयोग करके आपको कुछ रिवॉर्ड और लाभ प्राप्त होते हैं।

रिवॉर्ड कमाना

- आपको योग्य एज-फेडरल कार्ड लेनदेन (न्यूनतम लेनदेन राशि ₹100 है) पर खर्च किए गए प्रत्येक ₹100 पर स्वचालित रूप से 2 ज्वेल्स प्राप्त होंगे। ये रिवॉर्ड आपके कार्ड के साथ आते हैं और इनके लिए किसी अतिरिक्त सदस्यता शुल्क की आवश्यकता नहीं होती।
आप प्रति बिलिंग चक्र अधिकतम 15,000 ज्वेल्स प्राप्त कर सकते हैं।
- नकद में ज्वेल्स का प्रतिदेय मूल्य 5 ज्वेल्स के अनुसार = ₹1 है
- आप अपनी पसंद की श्रेणी से संबंधित व्यापारियों पर योग्य एज-फेडरल कार्ड लेनदेन (₹100 की न्यूनतम लेनदेन राशि पर) पर खर्च किए गए प्रत्येक ₹100 पर 10 ज्वेल्स का लाभ उठा सकते हैं। खरीदे गए बूस्टर पैक के प्रकार के आधार पर आप प्रति बिलिंग चक्र 15,000 ज्वेल्स तक कमा सकते हैं।
- श्रेणी पैक व्यापारियों की योग्यता पूरी तरह से कार्ड नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए व्यापारी श्रेणी कोड (MCC) पर निर्भर है

रिवॉर्ड और लाभ रिडीम करना

- डिजिटल गोल्ड के नियमों और शर्तों की आपकी स्वीकृति के अधीन, ज्वेल्स को जुपिटर ऐप पर डिजिटल गोल्ड के रूप में या आपके फेडरल बैंक खाते में नकदी के रूप में रिडीम किया जा सकता है
- एज-फेडरल कार्ड के लिए अर्जित ज्वेल्स की कमाई और मोचन आपके नवीनतम बिल के लिए न्यूनतम देय राशि के भुगतान पर निर्भर है। यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिदान के लिए चक्र में प्राप्त कोई भी ज्वेल्स लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जब तक न्यूनतम देय राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ज्वेल्स की कमाई रोक दी जाएगी।

अन्य नियम:

- आपके एज फेडरल कार्ड खाते में क्रेडिट या डेबिट किए गए ज्वेल्स जुपिटर ऐप पर दिखाई देंगे। आप अपने द्वारा एकत्रित किए गए ज्वेल्स को जुपिटर ऐप पर भी देख सकते हैं।
- बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL को एज-फेडरल कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम को पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रिवॉर्ड पॉइंट, रूपांतरण दर, निकासी ज्वेल्स को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

3. यदि एज-फेडरल कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम किसी नियम, विनियमन या ऑर्डर या किसी सांविधिक प्राधिकारी के विरोध में आता है, तो उक्त आवश्यकताओं को प्रभावी करने के लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम को संशोधित या रद्द किया जा सकता है।
4. ज्वेल्स की वैधता अवधि समाप्त नहीं होती है और आजीवन वैधता होती है, नीचे दी गई परिस्थितियों को छोड़कर:
 - a. यदि एज-फेडरल कार्ड का उपयोग 365 दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो अर्जित ज्वेल्स को रद्द कर दिया जाएगा।
 - b. यदि उपयोगकर्ता 90 दिनों के लिए अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो अर्जित कोई भी ज्वेल्स समाप्त हो जाएगा।
5. बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL के पास अर्जित ज्वेल्स को रद्द या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि एज-फेडरल कार्ड खाता बकाया, निलंबित या डिफॉल्ट में है या यदि एज-फेडरल क्रेडिट कार्ड खाता धोखाधड़ी से संचालित किया जा रहा है या ऐसा होने का उचित संदेह है।
6. कार्डधारक की मृत्यु की स्थिति में, अर्जित किए गए लेकिन उस समय रिडीम नहीं किए गए ज्वेल्स ज़ब्त कर लिए जाएंगे।
7. यदि कोई लेनदेन रिफंड/चार्जबैक/प्रतिपूर्ति के माध्यम से उलट दिया जाता है, तो लेनदेन राशि आपके एज-फेडरल क्रेडिट कार्ड खाते में वापस जमा की जाएगी। ऐसे उदाहरण में, उन लेनदेन पर अर्जित ज्वेल्स को समग्र ज्वेल्स शेष से कम कर दिया जाएगा।
8. एज-फेडरल कार्डधारकत्व के बंद होने/समाप्ति पर, कार्डधारक के खाते में दावा किए जाने वाले किसी भी लंबित ज्वेल्स को ज़ब्त कर लिया जाएगा।
9. यदि आपको प्रदान किए गए उत्पादों / सेवाओं का कोई आपूर्तिकर्ता उन उत्पादों / सेवाओं को वापस लेता है, रद्द करता है, बदलता है या संशोधित करता है, तो बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL ज़िम्मेदार नहीं होगा।
10. बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL, जुपिटर एज-फेडरल रिवॉर्ड प्रोग्राम में भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों / सेवाओं की गुणवत्ता के लिए कोई वारंटी नहीं देता है।
11. कुछ व्यापारिक श्रेणियों (नेटवर्क भागीदारों द्वारा MCC के रूप में वर्गीकृत) के लिए ज्वेल्स प्रदान नहीं किए जाते हैं। यह सूची “नियम और शर्तें” में देखी जा सकती है।
12. धोखाधड़ी का उचित संदेह होने पर बैंक किसी भी व्यापारी पर ज्वेल्स की कमाई को रोक सकता है।

शिकायत निवारण और कम्पैसेशन फ्रेमवर्क

यदि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

1. हमारे कस्टमर केयर नंबर +91 86550 55086 पर कॉल करें
2. हमें grievance@jupiter.money पर ईमेल करें
3. अगर आपकी शिकायत का उचित तरीके से निपटारा नहीं किया गया है या समस्या का समाधान आपकी संतुष्टि के अनुसार करने में देरी हुई है, तो कृपया इसे हमारे प्रमुख नोडल अधिकारी तक भेजें:

support@federalbank.co.in

सुश्री शालिनी वॉरियर

कार्यकारी निदेशक और प्रमुख नोडल अधिकारी

CEO सचिवालय, द फेडरल बैंक लिमिटेड

फेडरल टावर्स, अलुवा, केरल

Tel: 0484-2626366.

4. i) अगर आप अभी भी अपनी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि शिकायतों के निवारण का पहला बिंदु बैंक ही है। शिकायतकर्ता नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से रिझर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकते हैं।

<https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng>

- ii) समाधान में देरी होने पर नीचे दिए गए मुआवज़ा फ्रेमवर्क का पालन किया जाएगा

क्रम	घटना का विवरण	देय मुआवजा
01	कार्ड बंद करने का अनुरोध बशर्ते कि कोई लंबित बकाया न चुकाया जाए	T+7 दिनों से अधिक देरी पर प्रति दिन 500 रुपये + G.S.T
02	बिक्री केंद्र/CAP लेनदेन खाते से डेबिट किया गया लेकिन व्यापारी द्वारा निपटाया नहीं गया	घरेलू के लिए T+5 दिन और अंतरराष्ट्रीय के लिए T+7 दिन

		से अधिक की देरी पर प्रति दिन 100 रुपये + G.S.T
--	--	---

iii) कार्ड जारी करने वाले व्यक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं - फेडरल बैंक लिमिटेड, दूसरी मंजिल, पैराकल टावर्स, फेडरल बैंक, परिचालन विभाग, पारूर जंक्शन, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत, 683 102

डिफॉल्ट होना और इससे जुड़ी स्थितियां

यदि कार्डधारक नियत तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ब्याज ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार लगाया जाएगा और कार्डधारक किसी भी ज्वेल्स को रिडीम करने का अधिकारी नहीं होगा और तीन दिन की अनुग्रह अवधि की समाप्ति तिथि से ज्वेल्स की आगे की कमाई रोक दी जाएगी।

कार्डधारक को डिफॉल्टर के तौर पर रिपोर्ट करने के लिए सूचना अवधि सहित प्रक्रिया

डिफॉल्ट की स्थिति में, कार्डधारक को क्रेडिट कार्ड खाते पर बकाया राशि के निपटान के लिए समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाएंगे, जिसके लिए निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम का उपयोग किया जाएगा: डाक, टेलीफोन, ई-मेल, SMS संदेश और/या बकाया राशि याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने और उसे वसूलने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करना। इस प्रकार नियुक्त कोई भी तृतीय पक्षकार समय-समय पर यथा लागू ऋण वसूली संबंधी आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन करेगा। निम्नलिखित घटनाओं में से एक या एक से अधिक घटना में डिफॉल्ट की घटना होगी और फेडरल बैंक अपने विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा को वापस ले सकता है:

- कार्डधारक 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को देय राशि का भुगतान करने में विफल होता है।
- कार्डधारक नियम के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में कार्डधारक विफल रहता है; किसी भी NACH/स्थायी निर्देश को प्रस्तुति/किए जाने पर किसी भी कारण से नकद/कार्रवाई नहीं की जाती है
- कार्डधारक द्वारा किया गया कोई भी प्रतिनिधित्व गलत, झूठा या अपूर्ण साबित होता है, जिसमें बैंक को अग्रेषित आय और/या पहचान पत्र/दस्तावेज़ गलत, अधूरे और या झूठी धोखाधड़ी की जानकारी वाले साबित होते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं

डिफॉल्ट रिपोर्ट को वापस लेने की प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर देयताओं के निपटान के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट को वापस ले लिया जाएगा:

- a. संबंधित दोषी ने बैंक के साथ अपनी पूरी बकाया राशि चुका दी है अथवा बैंक के साथ अपनी बकाया राशि का निपटान कर दिया है।
- b. बैंक द्वारा या उसके खिलाफ दायर कानूनी मुकदमे में बैंक के खिलाफ अदालत का फैसला प्राप्त हुआ है, जिसमें बैंक द्वारा कार्डधारक को डिफॉल्ट रिपोर्ट से डी-लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। व्यक्तिगत समीक्षा पर मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

डिफॉल्ट हो जाने की स्थिति में रिकवरी की प्रक्रिया

डिफॉल्ट के केस में, बैंक विवाद को एकमात्र मध्यस्थ को भेजकर राशि की वसूली कर सकता है, जिसे समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के नामित अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है। मध्यस्थता का स्थान मुंबई, भारत होगा। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी

कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरसन/समर्पण

कार्डधारक द्वारा कार्ड समर्पित करने की प्रक्रिया

- a. कार्डधारक किसी भी समय जुपिटर ऐप से एज-फेडरल कार्ड सेटिंग पर जाकर या ग्राहक सहायता टीम को कॉल करके, ईमेल करके या चैट करके अपना एज-फेडरल कार्ड खाता बंद कर सकता है। कार्ड बंद करने का अनुरोध सबमिट करने से पहले उनके एज-फेडरल कार्ड से जुड़ी संपूर्ण कार्ड बकाया राशि और ऋण / EMI सुविधाएं (यदि लागू हो और/या प्राप्त की गई हों) को किलयर करना होगा।
- b. कार्ड बंद होने के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी रिफंड/रिवर्सल को कार्डधारक को सूचित किया जाएगा और संबंधित खाते यानी जुपिटर ऐप पर फेडरल खाते या जुपिटर ऐप पर कार्डधारक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफंड कर दिया जाएगा।
- c. किसी भी कारण से एज-फेडरल कार्डधारकत्व की समाप्ति/निरसन पर, चाहे वह कार्डधारक या बैंक के कहने पर हो, कार्डधारक एज-फेडरल कार्ड का उपयोग करते समय किए गए सभी शुल्क के लिए उत्तरदायी रहेगा।
- d. कार्डधारक विशेष रूप से स्वीकार करता है कि एक बार उसका एज-फेडरल कार्ड खाता बंद हो जाने पर, एज-फेडरल कार्ड के विशेषाधिकार (जिसमें सभी अर्जित लाभ और सेवाएं, रिडीम न किए गए ज्वेल्स आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) निरस्त हो जाते हैं। ये न तो अपने आप ना ही अनुरोध किए जाने पर बहाल की जाएंगी और ऐसा पूरी तरह बैंक के विवेक पर ही किया जाएगा।

- e. दुरुपयोग से बचने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि एज-फेडरल कार्ड को नष्ट कर दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि होलोग्राम, मैग्नेटिक स्ट्रिप और चिप स्थायी रूप से नष्ट हो जाएं।
- f. कार्डधारक का एज-फेडरल कार्ड खाता केवल तभी बंद होगा जब बैंक को कथित एज-फेडरल कार्ड खाते के संबंध में देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान प्राप्त हो जाएगा।

कार्डधारक के निरसन की प्रक्रिया

कार्डधारक की उनके एज-फेडरल कार्ड तक पहुंच को कोई भी पूर्व सूचना दिए बगैर कभी भी रद्द किया या वापस लिया जा सकता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि बिज़नेस या सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक है, इनमें बिना किसी सीमा के ये स्थितियां शामिल हैं:

- a. भुगतानों में विलंब होना या उनका अनादरण होना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल (RBI और विदेशी करेंसी के विनियम के नियमों के उल्लंघन में) करना।
- b. कार्ड के आवेदन के साथ भ्रामक या गलत जानकारी /दस्तावेज़ देना।
- c. अपने ग्राहक को जानें (KYC)/ एंटी-मनी लाउंडरिंग (AML)/ आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबला करना (CFT) की गाइडलाइन के तहत आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ न देना।
- d. किसी नागरिक मुकदमे या आपराधिक कृत्य / किसी प्राधिकारी/न्यायालय/ पेशेवर निकाय या एसोसिएशन द्वारा मुकदमे की कार्रवाई में शामिल होना।
- e. मौजूदा स्थितियों / आकस्मिक परिस्थितियों की वजह से क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में बदलाव। कार्ड खाता बंद होने के बाद भी कार्डधारक को वास्तविक बकाया राशि के साथ एज-फेडरल कार्ड कथन प्राप्त होता रहेगा।
- f. यदि एज-फेडरल कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं किया गया है, तो हम कार्डधारक को 30 दिनों के अंतर्गत निष्क्रियता की सूचना देंगे। यदि कार्ड का उपयोग अभी भी नहीं किया जाता है या एज-फेडरल कार्ड को जारी रखने के लिए कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो एज-फेडरल कार्ड को बंद कर दिया और कार्डधारक द्वारा देय राशियों के भुगतान की शर्त पर ब्यूरो को रिपोर्ट की जाएगी।

कार्ड का खो जाना, चोरी हो जाना या दुरुपयोग होना

एज-फेडरल कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/दुरुपयोग होने की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

- a. यदि एज-फेडरल कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए, गलत जगह रख दिया जाए या क्रेडिट कार्ड PIN के साथ छेड़छाड़ की गई हो, तो इसकी रिपोर्ट तुरंत जुपिटर ऐप से या फ़ोन या ईमेल के माध्यम से ग्राहक सहायता को दें।

- b. यदि एज- फेडरल कार्ड खो जाता है, तो कार्डधारक जुपिटर ऐप से कार्ड को अस्थायी रूप से फ्रीज़ कर सकता है।
- c. यदि एज- फेडरल कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो कार्डधारक जुपिटर ऐप से एज-फेडरल कार्ड को ब्लॉक कर सकता है और अपने कार्ड को पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकता है। कार्डधारक जुपिटर ऐप से एज- फेडरल कार्ड PIN को रीसेट भी कर सकता है। कार्डधारक तब तक किसी भी लेनदेन के लिए ब्लॉक किए गए कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेगा जब तक कि कार्डधारक को उसके बदले में दूसरा कार्ड प्राप्त नहीं हो जाता।
- d. यदि जुपिटर ऐप वाला मोबाइल फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो हमें तुरंत +91 86550 55086 पर कॉल करके सूचित करें। कृपया एज फेडरल कार्ड या फोन की चोरी की सूचना पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराकर दें और अनुरोध किए जाने पर उसकी एक कॉपी हमारे साथ साझा करें।
- e. कार्डधारक द्वारा कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/क्षति होने की रिपोर्ट करने के बाद कार्ड पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए कार्ड सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, ऐसे खो जाने/चोरी हो जाने/क्षति होने की रिपोर्ट करने के समय से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में और/या खो जाने/चोरी होने/क्षति होने/ दुरुपयोग की रिपोर्टिंग के बाद कार्ड पर किए गए लेनदेन और या विवादित लेनदेन की प्रामाणिकता का पता लगाने के ऐसे मामले में बैंक के पास सुरक्षित अधिकार होता है। देयता

उपर्युक्त किसी भी परिवृश्य के केस में आपकी देयता इस प्रकार होगी:

- a. निम्नलिखित स्थितियों में अनधिकृत लेन-देन होने पर शून्य देयता:
 - i. बैंक की ओर से धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी ii. तृतीय पक्ष द्वारा उल्लंघन जहां कमी सिस्टम में कहीं और है, और आप अनधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक (या इसके किसी भी आउटसोर्स सेवा प्रदाता) से संचार प्राप्त करने के 3 कार्य दिवसों के अंतर्गत बैंक (इसके आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं सहित) को सूचित करते हैं।
- b. आगे दिए गए केस में अनधिकृत लेन-देनों की वजह से होने वाली हानि के लिए आप दायी होंगे:
 - i. ऐसे केस में, जिनमें हानि आपकी लापरवाही से होती है, जैसे जब आपने भुगतान संबंधी क्रेडेंशियल्स शेयर किए हों, तो आप पूरी हानि को तब तक वहन करेंगे, जब तक कि आप बैंक (या उसके किसी आउटसोर्स सेवा प्रदाता) को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करते हैं। किसी अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्टिंग के बाद हुई कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
 - ii. ऐसे केस में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की ज़िम्मेदारी न तो बैंक की है और न ही आपकी है, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और जब बैंक (या इसके किसी आउटसोर्स सेवा

प्रदाता) से संचार प्राप्त करने के बाद बैंक को ऐसे लेनदेन की सूचना देने में आपकी ओर से 4-7 कार्य दिवस की देरी होती है, तो आपकी प्रति लेनदेन देयता लेनदेन मूल्य या नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि (RBI के अनुसार) जो भी कम हो, उस तक सीमित होगी-

ग्राहक का अधिकतम दायित्व	
संचार प्राप्त होने की तिथि से कपटपूर्ण लेन-देनों की रिपोर्टिंग की समयावधि	कार्ड सदस्य दायित्व
3 कार्य दिवसों के भीतर	शून्य
4-7 कार्य दिवसों के भीतर	यदि क्रेडिट कार्ड की सीमा \leq ₹50,000, अधिकतम देयता \leq ₹10,000 यदि क्रेडिट कार्ड की सीमा \geq ₹50,000; अधिकतम देयता \leq ₹25,000

iii. इसके अलावा, यदि आपके द्वारा रिपोर्टिंग में देरी 7 कार्य दिवसों से अधिक है, तो आपकी देयता बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

खुलासे

- फेडरल बैंक ने RBI द्वारा प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) के साथ समझौता किया है और क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, मासिक आधार पर इन संगठन के साथ जनसांख्यिकीय विवरण के साथ-साथ वर्तमान शेष राशि, एज फेडरल कार्ड (यदि लाभ उठाया गया है) से जुड़े ऋण / EMI सुविधाएं, एज- फेडरल कार्ड/ऋण पर बकाया शेष, भुगतान इतिहास आदि सहित क्रेडिट जानकारी साझा करेगा। CIC केवल वास्तविक क्रेडिट संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं और इस संबंध में कोई राय, संकेत या टिप्पणी नहीं देते कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। समय पर ज़रूरी बकाया राशि का भुगतान करके अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाए रखना कार्डधारक के सर्वोत्तम हित में है। CIC के पास डिफॉल्ट का विवरण भी उपलब्ध होगा, जो आपके क्रेडिट पात्रता को प्रभावित कर सकता है।
- फेडरल बैंक किसी भी दोषी ग्राहक की रिपोर्ट CIC को करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही कार्डधारक कोई बिलिंग विवाद उठाता है, जिसे बैंक और/या उसके प्राधिकृत सेवा प्रदाता ने पहले ही अवैध विवाद के रूप में स्पष्ट कर दिया हो या कार्डधारक द्वारा विवाद कट-ऑफ तिथि अर्थात् कथन तैयार होने की तिथि से 30 दिन के बाद उठाया गया हो, और/या विवाद

सुरक्षित लेनदेन से संबंधित हो, जहां PIN या वन-टाइम पासवर्ड का उपयोग किया गया था। CIC को दोषी ग्राहकों की रिपोर्ट करने में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे

a. बैंक किसी उपयोगकर्ता के दोषी बनने के 15 दिनों के अंतर्गत CIC को दोषी उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट करेगा।

b. CIC को रिपोर्ट किए जाने से 7 दिन पहले आपको SMS और ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

c. यदि आप रिपोर्ट किए जाने के बाद आवश्यक देय राशि का निपटान करते हैं, तो बैंक देय राशि के निपटान की तिथि से 30 दिनों के अंतर्गत स्थिति को अपडेट करेगा। यदि कोई विवाद जांच के अधीन है, तो आवश्यक होने पर विवाद के निपटान के बाद ही आपको रिपोर्ट किया जाएगा।

3. फेडरल बैंक और/या इसके प्राधिकृत तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता, आवश्यकतानुसार, वैधानिक प्राधिकारियों को कार्ड खाते का विवरण उपलब्ध कराएंगे। बैंक और/या बैंक द्वारा प्राधिकृत आवश्यक जानकारी साझा करेगा, जिसमें रिवॉर्ड प्रोग्राम के क्रियान्वयन, पोर्टफोलियो सांख्यिकीय विश्लेषण आदि के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है, लेकिन यह जानकारी इन्हीं तक सीमित नहीं है, और प्रत्येक केस में लागू कानूनों के अनुसार जुपिटर को प्रदान की जाएगी।
4. आपको यह भी पता होना चाहिए कि फेडरल बैंक या उसके सेवा प्रदाता, अपने स्वयं के विवेक पर, कार्डधारक और बैंक के किसी भी प्रतिनिधि के बीच विशिष्ट बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे समर्थन या शिकायत से संबंधित बातचीत या भुगतान-वसूली से संबंधित बातचीत या किसी अन्य बातचीत के केस में, जिसे बैंक उचित समझता है।
5. फेडरल बैंक लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी सेवा प्रदाता को क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित किसी भी गतिविधि को असाइन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, चाहे वह भारत या विदेश में स्थित हो और चाहे बैंक या तीसरा पक्ष अपने विवेकाधिकार पर हो। फेडरल बैंक बिना किसी विशिष्ट सहमति के क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित किसी भी गतिविधि हेतु ऐसे सेवा प्रदाताओं को कार्डधारक आवेदन का विवरण प्रदान/साझा कर सकता है। बैंक या बैंक द्वारा प्राधिकृत उसके प्राधिकृत सेवा प्रदाता को फोटोग्राफ़ सहित आवेदन पत्र और उसके साथ प्रदान किए गए दस्तावेज़ों को बनाए रखने का अधिकार है, और उसे वापस नहीं करेगा।
6. समय-समय पर फेडरल बैंक और/या बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर विभिन्न उत्पादों/सुविधाओं/प्रचार ऑफर की जानकारी देते हैं जो इसके कार्डधारकों को महत्वपूर्ण लाभ ऑफर करते हैं और ऐसा करने के लिए वे तीसरे पक्ष की एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि कार्डधारक ऐसी सेवाओं के लिए बैंक से कोई प्रत्यक्ष मार्केटिंग, SMS, ईमेल या

टेलीफोन कॉल प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो कार्डधारक हमें support@jupiter.money पर ईमेल कर सकते हैं। कार्डधारकों को क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषताओं से संबंधित जानकारी मिलना जारी रहेगा।

7. एज- फ़ेडरल कार्ड का उपयोग लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या गैरकानूनी मैगज़ीन जैसे निषिद्ध वस्तुओं की खरीद, स्वीपस्टेक में भागीदारी, कॉल बैंक सेवाओं के लिए भुगतान और / या ऐसे आइटम / गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है। भारत के बाहर लेनदेन के लिए एज- फ़ेडरल कार्ड का उपयोग RBI के एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 सहित लागू कानून के अनुसार किया जाना चाहिए और ऐसा करने में किसी भी तरह से विफल होने की स्थिति में आप दंडात्मक कार्रवाई हो सकते हैं।
8. इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के ज़रिए विदेशी करेंसी की ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। किसी भी उल्लंघन की या अनुपालन न करने की स्थिति में कार्डधारक पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और /या कार्ड को बंद कर दिया जाएगा।
9. पक्ष सहमत हैं कि नियम और/या कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्रे के संबंध में किसी भी विवाद को मुंबई, भारत में न्यायालयों के गैर- अनन्य क्षेत्राधिकार में भेजा जाएगा और भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।

कार्डधारक यह भी स्वीकार करता है कि फ़ेडरल बैंक, ग्राहक, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे संशोधित किया जा सकता है, या

उसके पुनः अधिनियमन के रूप में, विवाद को एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए नियुक्त करेगा। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा और पक्षों को अनिवार्य मानना होगा। मध्यस्थता कार्यवाही मुंबई या ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी जिसे बैंक के विवेकाधिकार पर अधिसूचित किया जा सकता है। मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की जा सकती है। अधिकरण द्वारा आदेशित किसी भी सुनवाई में भाग लेने के लिए, निम्नलिखित लागू होंगे:

- a. इस तरह की कोई भी सुनवाई अधिकरण के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- b. पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि न्यायालय के निर्णय, आदेश या फैसला देने पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी

- c. इस तरह की किसी भी सुनवाई के बाद अधिकरण ने इस आधार पर सुनवाई की है कि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित की गई थी।
10. कार्डधारक इस बात से सहमत है कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि बैंक को किसी क्रेडिट सुविधा के लिए कोई राशि देय है, तो बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसी किसी भी/सभी सुविधा के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) रखने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. बैंक और उसके संबंधित कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार किसी भी नुकसान या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हो, जिसमें राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, प्रत्याशित बचत या गुडविल, सॉफ्टवेयर सहित किसी भी उपकरण के उपयोग या मूल्य की हानि शामिल है। यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, चाहे वह दूरदर्शी हो या नहीं, उपयोगकर्ता या किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित, चाहे वह अनुरोध प्राप्त करने और संसाधित करने में बैंक की किसी देरी, रुकावट, निलंबन, समाधान या त्रुटि से उत्पन्न हो या उससे संबंधित हो या प्रतिक्रिया तैयार करने और वापस करने में या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण और किसी भी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और बैंक की प्रणाली या किसी भी खराबी से किसी भी जानकारी या संदेश के प्रसारण में कोई विफलता, देरी, रुकावट, निलंबन, प्रतिबंध या त्रुटि, उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण, बैंक की प्रणाली या किसी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और / या किसी तीसरे पक्ष के दूरसंचार उपकरण में व्यवधान, निलंबन या विफलता जो ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

महत्वपूर्ण विनियामक जानकारी

- आपका एज-फेडरल कार्ड भारत के साथ-साथ विदेश में भी उपयोग के लिए वैध है। हालांकि, नेपाल और भूटान में यह विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए मान्य नहीं है।
- इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के ज़रिए विदेशी करेंसी की ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। किसी भी उल्लंघन की या अनुपालन न करने की स्थिति में आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और/या कार्ड को बंद कर दिया जाएगा।
- बकाया राशि को ऑटो रिकवरी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंक में कार्डधारक के किसी भी ऑपरेटिव खाते से भी वसूला जा सकता है।
- दिवालियापन और सत्यानाश सहित कार्डधारक की मृत्यु/स्थायी गुंजाइश के केस में देय राशि की रिकवरी: यह कार्डधारक के उत्तराधिकारियों/नामांकित व्यक्तियों /कानूनी वारिसों/संरक्षकों को बकाया राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त नोटिस और बकाया राशि के संबंध में तमाम जानकारी देने के बाद यह लागू कानूनों के अनुसार होगा।